

इसी प्रकार बी.टेक. 2010 से 2011 (लौप 2011 से 2012) वी.एच.एम.सी.टी. 2010 से 2011, एम.सी.ए. 2012 से 2013, एम.वी.ए. 2014 से 2015, वी.आर्क. 2008 से 2009, वी.वी.ए. 2013, एम.टेक. 2006 से 2015 व एम.आर्क. 2013 से 2015 वेच के छात्रों को अतिरिक्त मर्सी चान्स का अनुमोदन किया गया। एम.टेक. व एम.आर्क. के विद्यार्थियों वी. मर्सी परीक्षा वा आयोजन नियमित विद्यार्थियों वी. परीक्षा के साथ किया जाव व शोध पाठ्यक्रम की मर्सी परीक्षाओं वा आयोजन पृथक से उपरोक्त समस्त वार्तित उपायों के पश्चात किया जाव।

विश्वविद्यालय द्वारा CBCS के तहत प्रकाशित वी.टेक. के नईन पाठ्यक्रम में पूर्व की भाँति संदर्भित पुस्तकों को भी वर्णित किया जाव।

संशोधन पूर्व

संकल्प .34.6

दिनांक 1.10.2019 को सम्पन्न हुई 19वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया विश्वविद्यालय की सुरक्षा

संशोधन पश्चात्

संकल्प .34.6

उक्त संकल्प टाइपिंग त्रृटिवश अधूरा रह गया था, अतः संशोधित संकल्प निम्नानुसार जारी किया जाता है-

"दिनांक 1.10.2019 को सम्पन्न हुई 19वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्थाओं हेतु माननीय विधायक द्वारा सुझाव दिया गया कि एक ही एजेन्सी की सेवाओं में लगातार विस्तार देने के बजाय होमगार्ड की सेवाएँ भी प्रायोगिक तौर पर ली जावे जिस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सुरक्षा व्यवस्था हेतु एजेन्सी की सेवाओं पर परीक्षण कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया एवं संकल्प तदनुसार अनुमोदित किया गया।"


संकल्प 34 (टी)1 संशोधन पूर्व

"Since the delinquent student has been acquitted by the Hon'ble High Court from the charges framed against him, he may be permitted to continue remaining regular study from the session 2019-20 and two more years for clearing the backlog, if any. Further college may be directed to arrange classes as per applicable scheme for 2007 admitted batch to complete the course before commencement of Odd semester main examination of session 2019-20".

संकल्प 34 (टी)1 संशोधन पश्चात्

Following may be added after last sentence 2019-20- "In future such cases for extension of time period shall be dealt by Dean Academics and one member from the examinations can be taken while recommending such cases".

उक्त संकल्प संशोधनों को प्रबंध मण्डल की 34वीं बैठक के मूल कार्यवाही विवरण (क्रमांक : एफ(2)/BoM-34/2019/10274-94 दिनांक 22.11.2019) के साथ संलग्न किया जाता है।


कुलसुम चिव

1. माननीय सदस्य गण, प्रबंध मण्डल, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय – सूचनार्थ
3. व्हेब मास्टर
4. रक्षित पत्रावली


कुलसुम चिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
राजस्थान



RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY, KOTA
Rawatbhata Road, Akelgarh, Kota-324 010

No.RTUF(2)BoM-34/2019/ 11150 - 70
कार्यवाही विवरण संशोधन

Date: 19/11/2019

दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 को सम्पन्न हुई प्रबंध मण्डल की 34वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक : एफ(2)/BoM-34/2019/10274-94 दिनांक 22.11.2019 के द्वारा जारी किये जा चुके हैं। कार्यवाही विवरण के निम्न संकल्पों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

संशोधन पूर्व

संकल्प.34.4

दिनांक 02.07.2019 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन निम्न संशोधन के साथ किया गया। माननीय सदस्यों का (2010), बी.एच.एम.सी.टी. 2006 से 2009, एम.सी. ए. 2006 से 2011, एम.बी.ए. 2006 से 2013, बी.आर्क 2006 से 2007 के बेच के समस्त पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को एक अन्तिम अवसर मर्सी चान्स के रूप में प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में यथासंभव सभी विद्यार्थियों को समस्त उपयुक्त माध्यमों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से सूचित करने के उपरांत परीक्षा आयोजित की जावे तत्पश्चात् भविष्य के लिए इनको किसी प्रकार का मर्सी चान्स न देने का संकल्प पारित किया गया अर्थात उपरोक्त बेच के विद्यार्थियों के लिए यह अन्तिम अवसर होगा तथा उसके पश्चात् इन्हें मर्सी चान्स देय नहीं होगा।

इसी प्रकार बी.टेक. 2010 से 2011 (लीप 2011 से 2012) बी.एच.एम.सी.टी. 2010 से 2011, एम.सी.ए. 2012 से 2013, एम.बी.ए. 2014 से 2015, बी.आर्क 2008 से 2009, बी.बी.ए. 2013, एम.टेक. 2006 से 2015 व एम.आर्क 2013 से 2015 बेच के छात्रों को अतिरिक्त मर्सी चान्स का अनुमोदन किया गया। एम.टेक. व एम.आर्क. के विद्यार्थियों की मर्सी परीक्षा का आयोजन नियमित विद्यार्थियों की परीक्षा के साथ किया जावे व शेष पाठ्यक्रमों की मर्सी परीक्षाओं का आयोजन पृथक से उपरोक्त समस्त वांछित उपायों के पश्चात् किया जावे।

विश्वविद्यालय द्वारा CBCS के तहत प्रकाशित बी.टेक. के नवीन पाठ्यक्रम में पूर्व की भाँति संदर्भित पुस्तकों को भी वर्णित किया जावे।

संशोधन पश्चात्

संकल्प.34.4

दिनांक 02.07.2019 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन निम्न संशोधन के साथ किया गया। माननीय सदस्यों का सुझाव था कि बी.टेक. 2006 से 2009 (लीप 2007 से 2010), बी.एच.एम.सी.टी. 2006 से 2009, एम.सी. ए. 2006 से 2011, एम.बी.ए. 2006 से 2013, बी.आर्क 2006 से 2007 के बेच के समस्त पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को एक अन्तिम अवसर मर्सी चान्स के रूप में प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में यथासंभव सभी विद्यार्थियों को समस्त उपयुक्त माध्यमों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से सूचित करने के उपरांत परीक्षा आयोजित की जावे तत्पश्चात् भविष्य के लिए इनको किसी प्रकार का मर्सी चान्स न देने का संकल्प पारित किया गया अर्थात उपरोक्त बेच के विद्यार्थियों के लिए यह अन्तिम अवसर होगा तथा उसके पश्चात् इन्हें मर्सी चान्स देय नहीं होगा।

50